संख्या-328/2015/786जेपीआर/22-3-15-200(3)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2015***

विषय- आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-178/2015/1575जेएल/22-3-15-200(3)/2015, दिनांक 18-06-2015 के अनुक्रम में आदर्श कारागार (नारी बंदी निकेतन), लखनऊ की महिला बंदी सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर, निवासी जनपद-पीलीभीत, महिला बंदी संख्या-1384 को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-328/2015/786जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in